इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2023—चैत्र 17, शक 1945

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई—5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023

क्रमांक 693/मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 61(ज) तथा 86(1)(ङ) सहपठित धारा 181(1) तथा धारा 181(2)(यत) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह—उत्पादन तथा उत्पादन}

(पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 **{आरजी–33(II), वर्ष, 2021},** जिसे एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 में द्वितीय संशोधन {एआरजी–33(II)(ii), वर्ष, 2023}

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–द्वितीय) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–33 (II) (ii), वर्ष 2023}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :**

मूल विनियमों के खण्ड दो के उप–खण्ड (दो) के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात, खण्ड (दो)(क) स्थापित किया जाए : –

"(दो)(क)– अधिकोषण (बैंकिंग) चक्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे

समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष, 2023) में परिभाषित किया गया है ; "

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 3.8 (क) के खण्ड (ग) उप–खण्ड (एक) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड स्थापित किया जाए :

"(एक) कोई भी उपभोक्ता हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) के क्रय हेतु या तो खपत के निश्चित प्रतिशत तक या फिर सम्पूर्ण खपत हेतु चयन कर सकेगा तथा उसके द्वारा अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष इस हेतु मांग प्रस्तुत की जा सकेगी जिसके द्वारा हरित ऊर्जा की उक्त मांग की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति की जायेगी तथा उपभोक्ता के समक्ष पवन, जल–विद्युत तथा अन्य श्रेणियों हेतु पृथक–पृथक मांग प्रस्तुत करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा ; "

4. मूल विनियमों के विनियम 10 में संशोधन :–

4.1 मूल विनियमों के विनियम 10.1 के उप–खण्ड (दो) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को प्रथम परन्तुक के रूप में स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि जमा की गई अधिकोषित ऊर्जा (Banked Energy) को अनुवर्ती अधिकोषण चक्रों (banking cycle) की ओर आगे बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा इसे उसी अधिकोषण चक्र के दौरान अव्यस्ततम अवधि (off-peak period) तथा व्यस्ततम अवधि (peak period) में समायोजित किया जाएगा । अव्यस्ततम अवधि एवं व्यस्ततम अवधि का अवधारण आयोग द्वारा समय–समय पर जारी उसके खुदरा विद्युत–आपूर्ति विद्युत–दर आदेश (Retail Supply Tariff Order) में किया जाएगा :"

4.2 विनियम 10.1 के उप–खण्ड (दो) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक स्थापित किये जाएं, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि व्यस्ततम अवधि के दौरान अधिकोषित ऊर्जा को व्यस्ततम अवधि के साथ–साथ अव्यस्ततम अवधि के दौरान 15 मिनट के समय खण्ड (time block) में आहरित की जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा अव्यस्ततम अवधि के दौरान अधिकोषित ऊर्जा के आहरण की अनुमति केवल अव्यस्ततम अवधि के दौरान 15 मिनट के समय खण्ड में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष, 2023) के प्रावधानों के अनुसार अधिकोषण प्रभारों (banking charges) के भुगतान द्वारा की जाएगी :

"परन्तु यह और भी कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूल किये गये अधिकोषण प्रभारों (banking charges) का समाधान जैसा कि इसका उल्लेख उपरोक्त परन्तुक में किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में क्रय की गई विद्युत की वास्तविक लागत के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार अधिकोषित ऊर्जा को लौटाये जाने हेतु तथा अतिरिक्त प्रभार, यदि कोई हों, के दावे हेतु अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु प्रस्तुत सत्यापन याचिका के साथ पृथक याचिका के माध्यम से किया जाएगा :

"परन्तु यह और भी कि प्रत्येक बैंकिंग चक्र के अंतर्गत अधिशेष अधिकोषित ऊर्जा जो उपयोग में न लाई जा सकी हो, को व्यपगत (lapsed) माना जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्र को, उक्त सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी ।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांत पाण्डा, सचिव.